

:: आदेश ::

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 के नियम-4(11)के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश निम्न सारिणी के स्तम्भ-3 में अंकित पद का क्षेत्राधिकार सारिणी के स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारी को प्रदान करता हूँ। एतदर्थ अलग से कोई वेतन/भत्ता देय न होगा:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	प्रदत्त अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र
1	2	3
1	श्री लाल सिंह, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर,जोन प्रथम, कानपुर।	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, जोन प्रथम, कानपुर।
2	श्री श्रीकृष्ण, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर,जोन द्वितीय,कानपुर	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, जोन द्वितीय,कानपुर

2- उक्त रिक्त पदों पर नियमित तैनाती हो जाने/तैनात अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने पर उक्त पद का प्रदत्त क्षेत्राधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा।



(हिमांशु कुमार )  
कमिश्नर,वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पू0पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- विशेष सचिव,कर एवं निबन्धन अनुभाग-1,30प्र0शासन,लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष वाणिज्य कर,अधिकरण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
- 3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर,जोन प्रथम / द्वितीय कानपुर।
- 4- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर, जोन प्रथम / द्वितीय कानपुर।
- 5- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,सम्भाग-ए/बी / सी/डी, कानपुर।
- 6- सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से।
- 7- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।



( विनोद कुमार सिंह )  
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।